राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1802/2015..... जिला : जयपुर

मैसर्स– शाने पंजाब,89,मरूधर बिहार,खातीपुरा रोड, जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट प्रथम,वृत–प्रथम, जयपुर व उपायुक्त(प्रशासन)तृतीय,वाणिज्यिक कर विभाग,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.11.2015	**एकलपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री अलकेश शर्मा एवं विभाग की ओर से श्री रामकरण सिंह, राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र उपायुक्त (प्रशासन) तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग,जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 के तहत् पारित किया गया हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट प्रथम,वृत–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.02.2014, जो अधिनियम की धारा 22 के तहत् कर निर्धारण वर्ष 2011–12 के लिए पारित किया गया हैं, में विवादित मांग राशि रू. 1,77,475/– के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष रोक (स्थगन) आवदेन पत्र प्रस्तुत करने पर स्थगन आवेदन पत्र को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशान्तर्गत वसूली योग्य राशि रू 1,77,475/– को स्थगित करने का निवेदन किया। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना नोटिस तमील कराये एकपक्षीय आदेश दिनांक 19.02.2014 पारित कर रू. 1,77,475/–की मांग सृजित की है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि नोटिस तामील के अभाव में व्यवहारी अपना पक्ष कर निर्धारण अधिकारी की समक्ष नही पाया गया है, इसलिए सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना मांग सृजित किया जाना अविधिक होने के साथ नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में कोई अंकन नहीं किया है। उन्होंने उक्त आधार पर प्रस्तुत रोक प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना अस्वीकार करने का निवेदन किया। उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन किया गया एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने आदेश में अंकित किया है कि नोटिस जारी किया है किन्तु उसके तामीली के सम्बन्ध में कोई अंकन नहीं किया है कि नोटिस तामील हुआ अथवा और नहीं, तामील हुआ तो किस तारीख को। दूसरी ओर बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया है कि उसे नोटिस तामील नहीं हुआ है।	

लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के अन्तर्गत वसूली योग्य राशि रू. 1,77,475/– के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा, साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह नोटिस तामीली के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन करने के पश्चात पुनः आदेश पारित करें।

निर्णय सुनाया गया

(सुनील शर्मा)
सदस्य